कार्यालय अध्यक्ष प्रबन्ध समिति गांधी पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक / नियुक्ति / / 2018—19 दिनांक—

कार्यालय आदेश

सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली—1996 जो कि दिनांक 14.06.1997 के मूल नियम 14(2) के अधीन गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 29.09.2016 / 30.09.2016 में सम्पन्न साक्षात्कार द्वारा की गयी संस्तुतियो एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 के कानपुर के पत्रांक 44731 / ई—35—एक्स—57(नियुक्ति) मु0नगर दिनांक 14.11.2018 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के पश्चात श्री अंकित सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, प्रवक्ता सिविल के मौलिक पद पर पे लेवल—10 मैट्रिक्स 56100—177500 के मूल वेतन रू0 56100.00 एवं शासन द्वारा स्वीकृत भत्तो सहित अस्थायी रूपसे नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतया उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा नियमावली 1996 के भाग—5 धारा 20 नियमो के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाती है। यह नियुक्ति शैक्षिक प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण पत्र / अनुभव प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने मे किसी मामले का कोई भी दावा झूठा पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धो के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जा सकती है तथा शासनादेश संख्या—20 / 1 / 74—नियुक्ति—3 दिनांक 11.06.1975 के अनुसार नियुक्ति अभ्यर्थियो की अस्थायी सेवाये कभी भी किसी भी पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

यदि श्री अंकित सिंह दिनांक 30.11.2018 तक पदभार ग्रहण करने मे असमर्थ होती है तो उनका नियुक्ति आदेश स्वत: ही निरस्त माना जायेगा। नियुक्ति अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय आदि देय नही होगा। नियुक्त अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अद्योहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

1. समस्त शैक्षिक / अनुभव / आयु / जाति प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा राजकीय सेवा के लिए प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र।
3. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का शपथ पत्र।
4. दो राजपत्रित अधिकारियों से जो कि उनके सगे सम्बन्धी न हो द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
5. एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हो)।

यदि उपरोक्तानुसार किसी प्रमाण पत्र मे कोई त्रुटि पायी जाती है तो कार्यभार ग्रहण नही कराया जायेगा।

(सोमांश प्रकाश)
अध्यक्ष प्रबन्ध समिति
गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर।

पृ0स0 / नियुक्ति / 1035 / 2018—19 दिनांक:—उक्तवत।

प्रतिलिपि—

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 कानपुर को आपके कार्यालय पत्र दिनांक 14.11.2018 के अनुक्रम मे प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा(प0क्षे0) दौराला मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रधानाचार्य, गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि संस्था में उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
4. लेखाकार / स्थापना, गांधी पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरनगर।
5. श्री अंकित सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के अनुपालन में तत्काल अपनी योगदान आख्या संस्था में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।

अध्यक्ष प्रबन्ध समिति
गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर।

अध्यक्ष
प्रबन्धक समिति
गांधी पॉलिटेक्निक
मुजफ्फरनगर